उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 628/2026
मनोज कुमार उपाध्याय बनाम् बिहार राज्य

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।

ए.बी.ए. नं0 628/2026
जमालपुर थाना कांड संख्या– 195/2025

---

1. मनोज कुमार उपाध्याय.....आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

आवेदक की ओर से – **श्री संजय कुमार चौधरी, विद्वान अधिवक्ता।**

विपक्षी/सरकार की ओर से – **श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।**

01.06.2026 आवेदक **मनोज कुमार उपाध्याय** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में जमानत आवेदन दाखिल किया था, जिसे वापस ले लिया गया। आवेदक इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध एक अन्य वाद जमालपुर थाना कांड सं0 197/2025 दर्ज है। आवेदक का भाई कैंसर से पीड़ित है, जिसकी देखभाल आवेदक करता है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचिका सृष्टि कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचिका ने मनोज कुमार उपाध्याय, उमाकांत उपाध्याय, संजय कुमार उपाध्याय से उनकी संपत्ति दिवाकर के माध्यम से रजिस्टर्ड जरब्याना बीस लाख रुपए देकर करवाया था। जरब्याना की अवधि 30 अक्टूबर 2025 तक की है, तो सूचिका ने रजिस्ट्री केवाला करने के लिए फोन किया, तो उक्त सभी लोग सीधा इंकार कर गय और कहे कि जो करना है, कर लो। पैसा भी वापस नहीं करेंगे। जब सूचिका ने इसी शिकायत अपने पति विपिन कुमार तथा ब्रोकर दिवाकर से की, तो उक्त सभी लोग दिनांक 06.10.2025 को

उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 628/2026
मनोज कुमार उपाध्याय बनाम् बिहार राज्य

लगातार

01.06.2026. जुबली बेल चौक पर धमकी दिए कि पैसा व जमीन दोनों भूल जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सूचिका के आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 316(2), 318(4), 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त है। आवेदक पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सूचिका से मकान केवाला करने के नाम से पैसा लेने तथा बाद में केवाला नहीं करने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी से ही स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद केवाला निष्पादन को लेकर टी0एस0 सं0 390/2025 चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच दीवानी प्रकृति का मामला प्रतीत होता है। वाद के सह अभियुक्तों को समान आरोप के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदक **मनोज कुमार उपाध्याय** को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
01.06.2026.

प्रतिलिपि :– विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
01.06.2026.